प्रेषक,

अनिल कुमार XI
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
सहारनपुर।

विषयः– प्रार्थी/शिकायतकर्ता मुखतार अहमद एडवोकेट के शिकायती प्रार्थनापत्र वाक्त प्रार्थी आमिर बेग के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयक शिकायतकर्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट के शिकायती प्रा0पत्र के क्रम मे विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि

1– प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रार्थी आमिर बेग की ओर से 1–युगराज उपजिलाधिकारी तहसील नकुड, थाना सरसावा, जिला सहारनपुर। हाल उपजिलाधिकारी तहसील बेहट, जिला सहारनपुर, कुलदीप सिंह हाल हल्का लेखपाल धलापडा, तहसील नकुड, थाना सरसावा जिला सहारनपुर, कटार सिंह हल्का लेखपाल कुराली व नगला महमूद तहसील नकुड, थाना सरसावा, जिला सहारनपुर, सुदेश रानी पत्नी शिवकुमार हाल प्रधान ग्राम पंचायत धलापडा, थाना सरसावा तहसील नकुड, जिला सहारनपुर, शिवकुमार पुत्र हरचन्द प्रधानपति ग्राम पंचायत धलापडा, थाना सरसावा, जिला सहारनपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु दिनांक 18.03.2019 को संस्थित किया गया था जिसमें पारित तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर, डॉ0 दीनानाथ के आदेश दिनांकित 16.04.2019 के द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या तलब की गयी थी जिसके क्रम मे जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र संख्या–1890/आर0ए0–प्रथम, दिनांक 29 अप्रैल 2019 प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मामले के वादी/प्रार्थी की ओर से आपत्ति का निस्तारण करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.11.2019 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध संस्थित पुनरीक्षण सख्या–74/2020 में पारित न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या–02 के आदेश दिनांकित 18.01.2021 के द्वारा शासनादेश संख्या–427(38) कार्मिक अनुभाग–1, संख्या–6/4/81–कार्मिक–1–81, दिनांकित 14.04.1981 के क्रम में जिलाधिकारी सहारनपुर से आख्या तलब की गयी थी जिसमें समय से आख्या प्रेषित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के स्तर से विभिन्न तिथियों 12.08.2021 व 24.08.2021 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए तथा अन्य भिन्न–भिन्न तिथियों पर आदेश पारित किये गये तथा आदेश की प्रति श्रीमान अध्यक्ष राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ, को भी प्रेषित की गई। राजस्व परिषद लखनऊ के पत्र संख्या आर 452/गोपन–विविध/2021 दिनांकित 09 अगस्त 2021 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–1/2 लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति न्यायालय में भी प्रेषित की गई, जो पत्रावली पर मौजूद है। स्पष्ट है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आख्या मंगाये जाने हेतु यथासम्भव प्रयास किया गया।

तब अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर के पत्रांक 689/एसटी दिनांकित 01–11–2021 के द्वारा आख्या प्राप्त हुई। (एनेक्चर संख्या–1)।

सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की उक्त आख्या भी मूलतः तहसीलदार नकुड, सहारनपुर के पत्रांक 7229/रा0नि0 (का0) दिनांकित 29 अक्तूबर 2021

13/07/2022

आमिर बेग के मौके पर उपस्थित रहने किन्तु उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर न करने का उल्लेख करते हुए प्रेषित आख्या में शिकायतकर्ता के अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0 पर वास्तविक रूप से कोई समर्थन नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता अधिवक्ता को वास्तविक रूप से कानून अथवा शासनादेश से कोई मतलब नहीं था। उसका उद्देश्य मात्र स्वयं के हित में किसी अधिकारी की आख्या प्राप्त करना था और सम्भवतः इसके द्वारा सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों पर भी दबाव बनाया गया तथा इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया जिसके क्रम में न्यायालय के आदेश दिनांकित 12-08-2021 को पुनः विस्तृत आदेश पारित करते हुए आख्या तलब की गई तथा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी सूचित किया गया। उक्त के पश्चात नियत अगली तिथि पर भी इस अधिवक्ता द्वारा जाँच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की शिकायत करते हुए बहस की तथा आख्या मंगाये जाने का अनुरोध किया गया, तब न्यायालय के आदेश दिनांकित 24-08-20212 के द्वारा पुनः आख्या तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जाँच अधिकारी पर भी आख्या अपने अनुकूल प्रेषित किए जाने का दबाव अवश्य बनाया होगा, किन्तु फिर भी उनके द्वारा जो आख्या प्रेषित की गई, उसमें प्रार्थी आमिर बेग के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द0प्र0स0 का कोई समर्थन नहीं किया गया। इस अधिवक्ता को यह उम्मीद थी, कि आख्या उसके अनुरूप आयेगी, किन्तु आख्या उसके अनुरूप नहीं आई। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि प्रश्नगत मामले में मुख्य आरोपित युगराज तत्कालीन उपजिलाधिकारी सहारनपुर हैं, तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार उक्त आरोपित अधिकारी से जाँचकर्ता अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वस्तुतः एक रैंक उपर के ही अधिकारी हैं, किन्तु इस अधिवक्ता द्वारा उक्त अधिकारी की आख्या को ही शासनादेश के अनुरूप मानने पर बल दिया गया तथा न्यायालय के रिमाईन्डर आदेशों में उक्त से ही आख्या मंगाये जाने पर बल दिया गया, किन्तु प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने के पश्चात् यह शिकायतकर्ता अधिवक्ता नियत तिथि पर उपस्थित आया तथा कागजात दाखिल करने के लिए समय की याचना करते हुए अन्य तिथि ले गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पारित विस्तृत आदेश दिनांकित 12-02-2021 के द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर को शासनादेश के अनुसार उपयुक्त अधिकारी से जाँच हेतु निर्देशित किया गया था।

वस्तुतः उक्त पत्रावली में आरोपित एस0डी0एम0 से दो रैंक उपर के किसी अधिकारी की कोई आख्या मौजूद नहीं है, किन्तु यह अधिवक्ता अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से पश्चातवर्ती अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा प्रेषित आख्याओं के क्रम में ही न्यायालयों पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में जब तक पत्रावली मौजूद रही उसमें एक भी प्रतिकूल आख्या मौजूद नहीं है। यदि इस अधिवक्ता का वास्तविक उद्देश्य शासनादेश अनुरूप आख्या पर ही होता तो इसके द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की आख्या पर इस आधार पर अवश्य आपत्ति की जाती, कि यह अधिकारी आरोपित अधिकारी से मात्र एक रैंक उपर के अधिकारी है तथा इनकी आख्या भी मूलतः तहसीलदार की आख्या पर आधारित है, किन्तु इस अधिवक्ता का एक मात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण आरोपित अधिकारीगण पर अभियोग पंजीकृत कराने का है। जिसके लिए यह किसी भी हद तक कानून और प्रक्रिया का दुरूपयोग करने के लिए तैयार है।

अब यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि पूर्व में प्रेषित आख्या भी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रेषित की गई थी, जो कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के ही समान श्रेणी के थे। शिकायतकर्ता अधिवक्ता को आशा थी कि यह जाँच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को अपने प्रभाव में लेकर आख्या अपने

13/07/2022

पर आधारित है। (एनेक्चर संख्या–2)। उक्त आख्या में भी स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता आमिर बेग के मौके पर उपस्थित रहने किन्तु उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर न करने का उल्लेख करते हुए प्रेषित आख्या में शिकायतकर्ता के अपने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0स0 का वास्तविक रूप से कोई समर्थन नहीं किया गया है।

शिकायतकर्ता अधिवक्ता को वास्तविक रूप से कानून अथवा शासनादेश से कोई मतलब नही था। उसका उद्देश्य मात्र स्वय के हित में किसी अधिकारी की आख्या प्राप्त करना था और सम्भवतः इसके द्वारा सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों पर भी दबाव बनाया गया, तथा इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की शिकायत करते हुए प्रार्थना पत्र न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय के आदेश दिनांकित 12–08–2021 को पुनः विस्तृत आदेश पारित करते हुए आख्या तलब की गई, तथा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी सूचित किया गया। उक्त के पश्चात् नियत अगली तिथि पर भी इस अधिवक्ता द्वारा जॉच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की शिकायत करते हुए बहस की तथा आख्या मंगाये जाने का अनुरोध किया गया, तब न्यायालय के आदेश दिनांकित 24–08–20212 के द्वारा पुनः आख्या तलब किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त जॉच अधिकारी पर भी आख्या अपने अनुकूल प्रेषित किए जाने का दबाव अवश्य बनाया होगा, किन्तु फिर भी उनके द्वारा जो आख्या प्रेषित की गई, उसमे प्रार्थी आमिर बेग के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 का कोई समर्थन नहीं किया गया। इस अधिवक्ता को यह उम्मीद थी, कि आख्या उसके अनुरूप आयेगी, किन्तु आख्या उसके अनुरूप नहीं आई। यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि प्रश्नगत मामलें में मुख्य आरोपित युगराज तत्कालीन उपजिलाधिकारी सहारनपुर हैं, तथा शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार उक्त आरोपित अधिकारी से जॉचकर्ता अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वस्तुतः एक रैंक उपर के ही अधिकारी हैं, किन्तु इस अधिवक्ता द्वारा उक्त अधिकारी की आख्या को ही शासनादेश के अनुरूप मानने पर बल दिया गया तथा न्यायालय के रिमाईन्डर आदेशों में उक्त से ही आख्या मंगाये जाने पर बल दिया गया, किन्तु प्रतिकूल आख्या प्राप्त होने के पश्चात् यह शिकायतकर्ता अधिवक्ता नियत तिथि पर उपस्थित आया तथा कागजात दाखिल करने के लिए समय की याचना करते हुए अन्य तिथि ले गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पारित विस्तृत आदेश दिनांकित 12–02–2021 के द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर को शासनादेश के अनुसार उपयुक्त अधिकारी से जॉच हेतु निर्देशित किया गया था।

वस्तुतः उक्त पत्रावली में आरोपित एस0डी0एम0 से दो रैंक उपर के किसी अधिकारी की कोई आख्या मौजूद नहीं है, किन्तु यह अधिवक्ता अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से पश्चातवर्ती अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा प्रेषित आख्याओं के क्रम में ही न्यायालयों पर दबाव बनाना चाहता है, जबकि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में जब तक पत्रावली मौजूद रही उसमें एक भी प्रतिकूल आख्या मौजूद नहीं है। यदि इस अधिवक्ता का वास्तविक उद्देश्य शासनादेश अनुरूप आख्या पर ही होता तो इसके द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की आख्या पर इस आधार पर अवश्य आपत्ति की जाती, कि यह अधिकारी आरोपित अधिकारी से मात्र एक रैंक उपर के अधिकारी है तथा इनकी आख्या भी मूलतः तहसीलदार की आख्या पर आधारित है, किन्तु इस अधिवक्ता का एक मात्र उद्देश्य येन् केन प्रकारेण आरोपित अधिकारीगण पर अभियोग पंजीकृत कराने का है। जिसके लिए यह किसी भी हद तक कानून और प्रकिया का दुरूपयोग करने के लिए तैयार है।

जब यहॉ यह उल्लेख किया जाना भी समीचीन होगा कि पूर्व में प्रेषित आख्या भी अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा प्रेषित की गई थी, जो कि अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के ही समान श्रेणी के थे। शिकायतकर्ता अधिवक्ता को आशा थी कि यह जॉच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को अपने प्रभाव में लेकर आख्या अपने

13/07/2021

अनुरूप प्राप्त करा लेगा, किन्तु वास्तविक रूप से यह इसमें असफल रहा।

माननीय निगरानी न्यायालय का आदेश मय पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 29–01–2021 को प्रस्तुत की गई तथा उक्त तिथि पर ही तत्सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। (एनेक्चर संख्या–3 सम्पूर्ण आदेश पत्र की छायाप्रति संलग्न जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित समस्त आदेश है)।

2–दिनांक 12.11.2021 को शिकायतकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए मौखिक बहस के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। उक्त तिथि पर मौखिक बहस हेतु 24.11.2021 नियत की गयी। इसी मध्य दिनांक 15.11.2021 को उक्त अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पेश करायी और पुनः बहस करने एवं लिखित बहस किये जाने हेतु तीन दिन का समय प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त तिथि पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश किया गया कि नियत तिथि से एक दिन पूर्व तक किसी भी कार्यदिवस पर लिखित बहस दाखिल कर सकते है। नियत दिनांक 24.11.2021 को मामले का प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता मे से कोई भी उपस्थित नहीं आये।

दिनांक 12.11.2021 के पश्चात् अधिवक्ता मुख्तार अहमद एडवोकेट द्वारा प्रश्नगत मामले मे अभियोग पजीकृत कराने का दबाव बनाने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सरकारी आवास पर लगातार कई बार आकर तथा अपने अनुरूप आदेश पारित करने की प्रार्थना की, किन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे प्रत्येक बार यही कहा गया कि प्रश्नगत मामले में विधिनुसार ही आदेश पारित किया जायेगा तथा मैं किसी भी अनुकूल आदेश की कोई गारण्टी नहीं दे सकता हूं।

3–दिनांक 24.11.2021 के पश्चात् पत्रावली में 06.12.2021, 13.12.2021 नियत की गयी। दिनांक 13.12.2021 से कुछ दिवस पूर्व यह अधिवक्ता मेरे सरकारी आवास पर दबाव बनाने के लिए पुनः उपस्थित आये और मेरे द्वारा अन्तिम रूप से इसको मना कर दिये जाने व घर से वापिस लौटा दिये जाने के पश्चात् इस अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.12.2021 को पेशी के समय उपस्थित नहीं आया तथा न्यायालय द्वारा अगली तिथि विनिश्चित की गयी किन्तु उक्त तिथि पर ही बाद में यह अधिवक्ता उपस्थित आया और दिनांक 13.12.2021 को ही पत्रावली पुनः पेश कराई गई तथा इस अधिवक्ता द्वारा पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने हतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया तथा मौखिक रूप से पत्रावली न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय सहारनपुर में अन्तरित किये जाने की प्रार्थना की गई। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त तिथि पर ही प्रश्नगत प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द0प्र0सं0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय में अंतरित कर दिया गया था।

शिकायती प्रार्थना पत्र पर आख्या प्रस्तुत किए जाने हेतु न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के न्यायालय से प्रश्नगत पत्रावली तलब कर अवलोकित किये जाने से स्पष्ट होता है कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के आदेश दिनांकित 18.02.2022 के द्वारा प्रश्नगत मामले में अभियोग पंजीकृत नहीं करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया है तथा पत्रावली उक्त न्यायालय में वर्तमान मे बहस तलबी के स्तर पर चल रही है और सम्भवतः उक्त मामले एवं आमिर बेग से सम्बन्धित अन्य मामलों में अनाधिकृत तौर से दबाव बनाने के उद्देश्य से इस अधिवक्ता द्वारा यह शिकायती प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4–इस मामले का प्रार्थी व शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रश्नगत मामले में अभियोग पंजीकृत न हो पाने के कारण सम्भवतः आरोपित सरकारी अधिकारियों से मोटी धनराशि ऐंठने में सफल नहीं हो पाया है। इस मामले के प्रार्थी व अधिवक्ता का उद्देश्य था कि प्रश्नगत मामले में यदि अभियोग पंजीकृत हो जाता तो यह उक्त आरोपितगण को ब्लैकमेल कर मोटी धनराशि प्राप्त कर सकते थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा भी उक्त मामले में अभियोग पंजीकृत करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया जिससे प्रथम

13/07/2022

दृष्टया यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका है।

5—इस शिकायतकर्ता अधिवक्ता के अपने अन्य शिकायती प्रार्थना पत्र में वर्णित मुकदमा अपराध संख्या—167 / 2020 का प्रश्न है उक्त अभियोग कॉ0 791 पंकज तोमर द्व रा द्वारा अभियुक्तगण तंजीम उर्फ मुल्ला, अजीम, फहीम, नसीम, वसीम, श्रीमती शाहिन एव एक अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जो इस अधिवक्ता के मुख्य पक्षकार आमिर बेग के परिचित / परिजन आदि है। उक्त मामले मे न्यायालय मे आरोपित अभियुक्तगण श्रीमती साहिन, गुलनवाज एव फेजान सहित कुल 14 अभियुक्तो के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 147,148,149,332,353,186,504 भा0द0स0 मे आरोपपत्र प्राप्त हो चुका है तथा अपराध का प्रसज्ञान लिया जा चुका है, जिसमे अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके विरूद्ध सम्मन जारी है।

उक्त मामले मे अभी अभियुक्तगण उपस्थित नहीं आये हैं और ना ही आरोप विरचित होकर विचारण पूर्ण हुआ है। ऐसी दशा मे उक्त मामले मे इस स्तर पर किसी भी अभियुक्त के सम्बन्ध मे ऐसी कोई विधिक उपधारणा नही की जा सकती है कि वह प्रारम्भ से ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं और ना ही यह उपधारणा की जा सकती है कि किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्तिगत रंजिश में अथवा किसी के प्रभाव में आकर इस अधिवक्ता के मुख्य मुवक्किल आमिर बेग के परिजन आदि के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी हो।

इस अधिवक्ता द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में उक्त का उल्लेख इस उद्देश्य से किया गया है कि यह अपने मुख्य मुवक्किल आमिर बेग पुत्र फारूख बेग के सगे भाई इमरान बेग पुत्र फारूख बेग की ओर से इस न्यायालय में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 218 / 2021 अर्न्तगत धारा 156 (3) दं0प्र0सं0 इमरान बेग बनाम उपनिरीक्षक वेदपाल थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल उपनिरीक्षक थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा इसके वर्तमान में मुख्य मुवक्किल आमिर बेग के परिजन के विरूद्ध संस्थित उक्त अभियोग में विवेचना की गई है तथा न्यायालय में उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। यह अधिवक्ता उक्त विवेचक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर आमिर बेग व उसके परिजनों आदि सहित कुल 14 अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्भीर धाराओं में प्राप्त आरोप पत्र के मामलें में दबाव बनाना चाहता है जिससे पुलिसकर्मी दबाव में आकर समझौते हेतु बाध्य हो जायें। उक्त प्रकीर्ण पत्रावली विगत लम्बे समय से बहस के स्तर पर चल रही है किन्तु इसके द्वारा बहस नहीं की जा रही है और मामलें को टाला जा रहा है। उक्त पत्रावली में बहस हेतु अग्रिम तिथि 03—08—2022 है तथा पिछली तिथि 05—07—2022 थी। इस अधिवक्ता द्वारा बडे ही सोच विचार कर और सुनियोजित तरीके से उक्त मामलें की बहस की तिथि से कुछ दिन पूर्व ही शिकायती प्राथना पत्र इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं कि उक्त मामलें में इसके अनुरूप आदेश पारित कर दिया जाये। दिनांक 05—07—2022 को भी इसके द्वारा उक्त मामलें में वैधानिक प्रक्रिया से परे जाकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका निस्तारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसी तिथि पर करते हुए बहस हेतु दिनांक 03—08—2022 नियत की गई।

6—यह शिकायतकर्ता अधिवक्ता इस हद तक व्यक्तिगत रूप से प्रश्नगत मामले में हितबद्ध रहा है कि इसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को यह कहा गया कि वह पिछले कई साल से आमिर बेग और उसके परिजनों से सम्बन्धित प्रकरणों को लेकर विभिन्न सरकारी अधिकारियों व गांव के प्रधान आदि के विरूद्ध विविध स्तरों पर पैरवी कर रहा है। इस अधिवक्ता के द्वारा मेरे सरकारी आवास पर आकर यह भी कहा गया कि श्रीमान जी यदि प्रश्नगत मामले में आरोपित अधिकारियों तत्कालीन एस0डी0एम0 बेहट आदि व ग्राम प्रधान आदि के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित कर देते हैं तो उसके मुख्य मुवक्किल व उसके द्वारा इस मामले में कई साल से की जा रही मेहनत व खर्च की गयी धनराशि की भरपाई उक्त से हो सकती है। मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार करते हुए कथन किया गया कि

13/07/2022

प्रश्नगत मामले में वही आदेश पारित किया जायेगा जो तथ्यों के प्रकाश में विधिसम्मत होगा तथा इस अधिवक्ता को जब यह महसूस हुआ कि मेरे द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश अवैधानिक रूप से नहीं किया जा सकेगा तब इसके द्वारा अन्य न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसी तिथि पर पत्रावली अन्य न्यायालय में अंतरित कर दी गयी, किन्तु इस अधिवक्ता के अवैधानिक दबाव को नही माना गया।

7—यह अधिवक्ता इस हद तक दबाव बनाने के लिए उत्सुक रहा है कि उसके द्वारा न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने पौत्र/परिवार के किसी बालक आदि को साथ लेकर भी मेरे घर पर आया और पारिवारिक मित्रता करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इंकार किया गया और सामाजिकता के नाते यह समझाया गया कि बच्चों को लेकर भविष्य मे नही आये और ना ही स्वयं भी अनावश्यक रूप से सरकारी आवास पर आने का कष्ट करें। न्यायालय के कार्य न्यायालय में ही होंगे तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नही किया जायेगा। इस अधिवक्ता की मेरे सरकारी आवास पर पहुंचने की पुष्टि इसके मोबाईल की लोकेशन आदि से की जा सकती है। इस अधिवक्ता के मेरे सरकारी आवास पर कई बार आने पर आखिरी बार मेरे द्वारा अपने परिजनों के माध्यम से इसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया और सख्त निर्देश दिया गया कि भविष्य में नहीं आये, जिसकी पुष्टि भी इसके मोबाईल की लोकेशन से हो सकती है जिसमें अन्तिम बार मेरे घर के आस-पास एक-आधा मिनट के लिए इसकी उपस्थिति पायी जायेगी।

इस अधिवक्ता के पास इस न्यायालय में मेरी अधिकतम जानकारी में आमिर बेग और उसके परिजानों के अतिरिक्त शायद ही कोई मामला रहा हो जिसमें यह उपस्थित आया हो और मेरी अधिकतम जानकारी में यह तथ्य भी है कि इस अधिवक्ता के पास अन्य कोई मामला भी नहीं है जिसकी पुष्टि पिछले लगभग दो वर्षों के कम्प्यूटर अनुभाग के सी0आई0एस0 पर विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा विविध प्रकार के प्रा0पत्र, वाद आदि दर्ज कराये जाने सम्बन्धी विवरण से हो सकती है, जिसमें इस अधिवक्ता के द्वारा आमिर बेग और उसके परिजनों के अलावा शायद ही किसी अन्य मामले में कोई उपस्थिति पायी जाये। यह अधिवक्ता न्यायालय परिसर में भी आमिर बेग व उसके परिजन के मामले से सम्बन्धित तिथियों पर ही सामान्यतः उपस्थित आता है जिसकी पुष्टि भी इस अधिवक्ता के मोबाईल लोकेशन व न्यायालय परिसर में मौजूद सी0सी0टी0वी0 कैमरों आदि से की जा सकती है।

8— प्रश्नगत मामले में आरोपित किये गये सरकारी अधिकारीगण व ग्राम प्रधान आदि में से किसी भी व्यक्ति ने किसी भी समय न तो अधोहस्ताक्षरी से व्यक्तिगत रूप में ना ही दूरभाष से और ना ही किसी अन्य प्रकार से कभी भी कोई मुलाकात की है और ना ही किसी प्रकार की कोई वार्ता हुई। आरोपितगण में से किसी भी व्यक्ति को आज की तिथि तक ना तो मैं जानता हूं ना ही मेरा कोई पूर्व परिचय है और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी प्रकार से कभी भी सम्पर्क में रहा है। ऐसी दशा में साज किये जाने आदि आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, कल्पित एवं निराधार हैं। यहाँ तक की अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य की भी कोई जानकारी नही है कि आरोपित अधिकारीगण वर्तमान में इस जनपद में तैनात है अथवा नही तथा कथित ग्राम प्रधान भी वर्तमान मे ग्राम प्रधान है अथवा नहीं।

9—जहाँ तक प्रा0पत्र में वर्णित कथित चालानशुदा डम्परों आदि के छोड़े जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में सैकड़ों मामलों में वाहन अवमुक्ति सम्बन्धी आदेश पारित किये गये हैं जिसमें आज की तिथि तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित किसी भी आदेश जिसमें वाहन अवमुक्त किया गया हो, के विरूद्ध एक भी प्रतिकूल आदेश प्राप्त नही हुआ है जिसमें अधोहस्ताक्षरी के आदेश को निरस्त किया गया हो। यहां तक कि किसी भी मामले के वादी आदि की ओर से किसी भी प्रकार का कोई पुनरीक्षण आदि खनन आदि के किसी मामले में संस्थित किये जाने का कोई प्रकरण

13/07/2022

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में नहीं आया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा विविध प्रकरणों में जितने भी आदेश पारित किये गये हैं वह पूर्णतः विधिसम्मत हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रा0पत्र में ऐसे किसी भी विशिष्ट मामले का उल्लेख नही किया गया है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई भी अवैधानिक आदेश पारित किया गया हो।

10—प्रश्नगत मामले मे शिकायतकर्ता अधिवक्ता वस्तुतः इस बात से विक्षुब्ध है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित नहीं किया गया और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा भी अभियोग पंजीकृत नही कराया गया। अपितु मामले को परिवाद के रूप मे सचालित किया गया जिससे पिछले कई वर्ष से इसके द्वारा की गयी कार्यवाही के बावजूद तथ्य विधिक रूप से सही ना होने के कारण प्रश्नगत मामले के आरोपितगण सरकारी अधिकारीगण को ब्लैकमेल कर उनसे मोटी धनराशि प्राप्त करने से वंचित रह गया है।

वस्तुतः इस अधिवक्ता के पास वर्तमान में आमिर बेग के मामलों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य सामान्यतः ना होने के कारण अपने अधिवक्ता के पेशे में अपना प्रभाव दर्शाने के लिए अपने मुख्य पक्षकार के हक में प्रत्येक स्तर पर अपने मनवांछित आदेश पारित कराना चाहता है। इस अधिवक्ता द्वारा कई बार मेरे विश्रामकक्ष में भी आकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया तथा मेरे द्वारा समझाया गया कि आप फेयर प्रैक्टिस करें। किसी भी मामले में दबाव बनाने से न्यायालय आपके अनुरूप आदेश पारित नही सकता है। मेरे द्वारा न सिर्फ इस अधिवक्ता, बल्कि इस न्यायालय में उपस्थित होने वाले किसी भी अधिवक्ता के प्रभाव में आकर ना तो कोई आदेश पारित किया गया है और ना ही भविष्य में किया जायेगा चाहे दबाव बनाने वाला अधिवक्ता कितना ही शिकायती प्रवृत्ति का अथवा वरिष्ठ क्यों ना हो। विधिक आदेश मामले के गुण—दोष पर पारित किये जाते हैं ना कि किसी अधिवक्ता के प्रभाव में आकर अथवा उसके द्वारा शिकायत किए जाने पर।

न्यायालय का प्रयास यथाशीघ्रता से वाद का गुण—दोष पर निस्तारण किये जाने का होता है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिसका एक मात्र उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर अपने मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना है। न्यायालय को आरोपित करते हुए न्यायालय पर दबाव कारित करने की प्रवृत्ति को बढावा दिया जाना न्याय की मंशा के सर्वथा विरूद्ध है।

अपने स्पष्टीकरण के कथनों के समर्थन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में नवीन अधिकारियों की तैनाती होने व माननीय उच्च न्यायालय की आदेशिकाओं के अनुपालन व पद से जुड़े हुए विविध प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता के कारण समय से आख्या प्रेषित नही की जा सकी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आख्या प्रेषित किये जाने में जानबूझकर कोई विलम्ब कारित नही किया गया है।

आख्या आदरणीय महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

आदर सहित।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार व शपथपत्र।

दिनांकः 13—07—2022

भवदीय,

13/07/2022

(अनिल कुमार XI)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

सहारनपुर।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP41427448529287U
Certificate Issued Date	:	13-Jul-2022 04:59 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136004/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136004749633239161910
Purchased by	:	ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHILADI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHILADI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ANIL KUMAR XI SO LATE RAM KHILADI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

समक्ष माननीय जिला न्यायाधीश, महोदय, सहारनपुर।

शपथपत्र ओर से:–अनिल कुमार XI, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

1– मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा उपरोक्त नाम व पदनाम सब सच व सही है
तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होने के कारण कुल वाकात से परिचित हूँ।

2– मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शिकायतकर्ता श्री मुख्तार अहमद एडवोकेट के
प्रार्थना पत्र के जवाब में मुझ शपथकर्ता द्वारा जो स्पष्टीकरण माननीय महोदय को प्रेषित किया
जा रहा है, उसमें अंकित समस्त कथन सच एवं सही है जिनको मैं पुनः इस शपथ पत्र के
माध्यम से दोहराता हूँ तथा इनका इस शपथ पत्र के माध्यम से समर्थन करता हूँ।

सत्यापन:–मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में किए गए
समस्त कथन मेरे जाति इलम व जानकारी में सब सच व सही है, कोई तथ्य छिपाया नही गया
है। ईश्वर सच बोलने में मेरी मदद करें।

दिनांक 13–07–2022

शपथकर्ता

शपथकर्ता

एनेक्जर -1

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर।

सेवा में,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहारनपुर।

पत्रांक ६४१ /एसटी0 दिनांक ०१ नवम्बर, 2021

महोदय,

कृपया श्री आमिर बेग पुत्र फारूख बेग निवासी ग्राम धलापडा व ब्लॉक सरसावा, तहसील नकुड, जिला सहारनपुर के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 के क्रम में धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 15.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) पर पृष्ठांकित जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 2224 दिनांक 20.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त आदेश के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी को श्री आमिर बेग के शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में महोदय को सादर अवगत कराना है कि श्री आमिर बेग के शिकायती प्रार्थना में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु उपजिलाधिकारी नकुड, क्षेत्रीय लेखपाल, श्री कटार सिंह लेखपाल व श्री आमिर बेग पुत्र फारूख की ओर से विद्यवान अधिवक्ता सुनवाई हेतु दिनांक 20.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान श्री आमिर बेग पुत्र फारूख की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया की आज तक प्रकरण की स्थलीय जांच/पैमाईश वादी की उपस्थिति में नहीं कराई गयी है। जिसके कम में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा एक बार पुनः दोनो पक्षो की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि की पैमाईश करने के निर्देश दिये गये।

तदनुसार उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार नकुड द्वारा प्रेषित जांच आख्या संख्या 7229/रा0नि0(का0) दिनांक अक्टूबर 29.10.2021 में उल्लिखित है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पुनः पैमाईश कराकर आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है दिनांक 26.10.2021 (मंगलवार) को नियत समय पर राजस्व टीम मौके पर उपस्थित हुयी। श्री आमिर बेग पुत्र फारूख बेग की उपस्थिति में प्रश्नगत खसरा नम्बर 226 की पैमाईश की गयी तथा अभिलेखों का सम्यक दृष्टि से अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम धौलापडा परगना सरसावा तहसील नकुड की वर्तमान नकल खतौनी 1425–1430 फसली के खाता संख्या 885 के गाटा संख्या 226 ख रकबा 0.679 हे0 भूमि श्रेणी 5(3) कृषि योग्य बंजर दर्ज है तथा खाता संख्या 890 के अन्तर्गत गाटा संख्या 226 क रकबा 0.061 हे0 भूमि श्रेणी 6(2) अकृषिक भूमि आबादी दर्ज है। मानचित्र में गाटा संख्या 226 में आबादी तथा बंजर भूमि को पृथक–पृथक प्रदर्शित नहीं किया गया है। मानचित्र में उक्त पूरे खसरा संख्या 226 में आबादी के संकेत बने है तथा मौके पर भी ग्राम की पुरानी आबादी बनी है। जिस प्रश्नगत भूमि पर मोबाइल टावर लगा है, उस प्लाट का बैनामा श्री शिवलाल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम किशनपुरा, मजरा धौलापडा, परगना सरसावा, तहसील नकुड ने दिनांक

01.04.2008 को श्रीमती सुदेश सनी पत्नी श्री शिवकुमार निवासी ग्राम किशनपुरा, मजरा धौलापडा परगना सरसावा को विक्रय किया गया है। जिसकी चौहद्दी मौके के अनुरूप सही है। (बैनामे की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।) पक्षकारों को पूर्व सूचना उपरान्त दिनांक 26.10.2021 को स्थल पर पुनः पैमाईश की गयी जिसके अनुसार प्रश्नगत टावर खसरा संख्या 226 में स्थित है। प्रश्नगत खसरा संख्या 226 मिनजुमला नम्बर है। जिसमें बंजर व आबादी संयुक्त रूप से दर्ज है, जिसका शजरे व मौके पर पृथम से चिन्हांकन/मार्किंग नही है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि अर्थात धारा–77 की भूमि नही है। श्री आमिर बेग पुत्र फारूख बेग पैमाईश/जांच के समय मौके पर उपस्थित रहे, किन्तु उपस्थिति पत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया।

अतः तहसीलदार, नकुड की जांच आख्या की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02/11/21

(रजनीश कुमार मिश्र)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
सहारनपुर

कार्यालय तहसीलदार नकुड़, जनपद सहारनपुर।

पत्रांक : 7229 /रा0नि0(का0) दिनांक : अक्टूबर 29, 2021

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
सहारनपुर।

एनेक्जर -2

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 658/एस0टी0 दिनांक 29.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के आदेश दिनांक 15.02.2021 द्वारा श्री आमिर बेग पुत्र फारूख बेग निवासी ग्राम धौलापड़ा थाना व ब्लाक सरसावा, जिला सहारनपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2019 मे अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः जांच कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

प्रकरण मे कार्यालय उप जिलाधिकारी नकुड़, जनपद सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या 1583/पी0ए0 दिनांक 30 सितम्बर, 2021 में विस्तृत आख्या महोदय को प्रेषित की गयी। महोदय द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये शिकायतकर्ता की उपस्थिति मे पुनः पैमाईश करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशो के अनुपालन में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक से पुनः पैमाईश कराकर आख्या प्राप्त की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहारनपुर के पत्रांक 418/एस0टी0 दिनांक 11.10.2021 के द्वारा मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 270/2019 के सम्बन्ध में श्रीमान उप जिलाधिकारी नकुड के नेतृत्व में दिनांक 20.10.2021 को मा0 अपर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में आदेशित किया गया था। जिसके क्रम में मा0 महोदय के कार्यालय में श्रीमान उप जिलाधिकारी के साथ उपस्थित हुये। मा0 अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुनवाई के समय वादी श्री आमिर बेग पुत्र फारूख बेग निवासी ग्राम धौलापडा के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया आज तक प्रकरण की स्थलीय जांच/पैमाईश वादी की उपस्थिति में नही की गयी है। जिसके क्रम में मा0 महोदय द्वारा एक बार पुनः प्रार्थी की उपस्थिति में पूर्व सूचना उपरान्त दिनांक 21.10.2021 को जांच/पैमाईश करने के मौखिक निर्देश दिये गये थे। किन्तु वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.10.2021 को उपस्थित रहने में असमर्थता जताई गयी। इसके उपरान्त दिनांक 22.10.2021 नियत की गई। किन्तु वादी द्वारा पुनः स्थल पर उपस्थित रहने में असमर्थता जतायी गयी। इसके पश्चात् वादी द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 26.10.2021 (मंगलवार) नियत की गयी। निर्धारित दिनांक एवं समय पर राजस्व टीम मौके पर उपस्थित हुयी। प्रार्थी की उपस्थिति में प्रश्नगत खसरा नं0 226 की पैमाईश की गयी तथा अभिलेखों का सम्यक दृष्टि से अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम धौलापडा परगना सरसावा तहसील नकुड की वर्तमान नकल खतौनी 1425–1430 फसली के खाता संख्या 885 के गाटा संख्या 226 ख रकबा 0.679 हे0 भूमि श्रेणी 5(3) कृषि योग्य बंजर दर्ज है तथा खाता संख्या 890 के अन्तर्गत गाटा संख्या 226 क रकबा 0.061 हे0 भूमि श्रेणी 6(2) अकृषिक भूमि आबादी दर्ज है। मानचित्र में गाटा सख्या 226 में आबादी तथा बंजर भूमि को पृथक–पृथक प्रदर्शित नही किया गया है। मानचित्र में उक्त पूरे खसरा संख्या 226 में आबादी के संकेत बने है तथा मौके पर भी ग्राम की पुरानी आबादी बनी है। जिस प्रश्नगत भूमि पर मोबाइल टावर लगा है, उस प्लाट का बैनामा श्री शिवलाल पुत्र हरचन्द निवासी ग्राम किशनपुरा, मजरा धौलापडा, परगना सरसावा, तहसील नकुड ने दिनांक 01.04.2008 को श्रीमती सुदेश रानी पत्नी श्री शिवकुमार निवासी ग्राम किशनपुरा, मजरा धौलापडा परगना सरसावा को विक्रय किया गया है। जिसकी चौहद्दी मौके के अनुरूप सही है। बैनामे की छायाप्रति अवलोकनार्थ सलंग्न है।

F4-207